



कार्यालय पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन कमिश्नरेट वाराणसी

प्रेस नोट

दिनांक-23.10.2024

विषय:- “आपरेशन कन्विकशन” के तहत प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप थाना सारनाथ में पंजीकृत वाहन चोरी के मुकदमें में अभियुक्त को सजा ।

थाना सारनाथ, कमिश्नरेट वाराणसी में पंजीकृत मु0अ0सं0- 464/2009 धारा 379 भा0द0वि0 से सम्बन्धित अभियुक्त राजेश सिंह उर्फ बंटी पुत्र इन्द्रजीत सिंह निवासी धरसौना थाना चोलापुर जनपद वाराणसी को प्रभारी निरीक्षक सारनाथ व मॉनिटरिंग सेल वाराणसी की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप दिनांक- 23.10.2024 को माननीय न्यायालय ACJM-06 जनपद वाराणसी द्वारा अन्तर्गत धारा 379 भा0द0वि0 में दोषसिद्ध पाते हुए जेल में बितायी गयी अवधि (01 वर्ष 15 दिवस) व 1500/- रुपए अर्थदण्ड से दंडित किया गया ।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त
वरुणा जोन, कमिश्नरेट वाराणसी।